सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेसनोट –दिनांक 05.07.2026

धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने के प्रकरण में वैज्ञानिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर इटावा पुलिस की प्रभावी कार्यवाही: मुख्य अभियुक्त पूर्व में गिरफ्तार, सह-अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें निरंतर प्रयासरत।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अभयनाथ त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अवनीश सिंह के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 430/2022, धारा 420/467/468/471/120बी/34 भादवि से संबंधित प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी विधिक कार्यवाही की गई है।

घटना / कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण

थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान उपलब्ध दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों, कूटरचित प्रपत्रों, चेकों पर हस्ताक्षरों संबंधी एफएसएल रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के परीक्षण के उपरांत **अभियुक्त प्रवीण कुमार गुप्ता** की संलिप्तता स्पष्ट होने पर दिनांक 01.07.2026 को उसे विधिक प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरांत प्रकरण में अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण, सह-अभियुक्ता की गिरफ्तारी तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु पुलिस टीमों द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रकरण की विवेचना निष्पक्ष, पारदर्शी एवं साक्ष्य-आधारित रूप से प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त

प्रवीण कुमार गुप्ता पुत्र विपिन चंद्र गुप्ता निवासी स्वामी टोला, थाना कोतवाली, जनपद इटावा उम्र 55 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 430/2022 धारा 420/467/468/471/120बी/34 भादवि थाना सिविल लाइन, जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 91/2021 धारा 406/506 भादवि थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ ।
2. मु0अ0सं0 689/2022 धारा 120बी/406/420/504/506 भादवि थाना सिकन्दरा नगर कमिश्नरेट जनपद आगरा
3. मु0अ0सं0 76/2023 धारा 406/420/468 भादवि थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
4. मु0अ0सं0 393/2025 धारा 316(2)/318(4)/351(4) बीएनएस थाना सिविल लाइन जनपद बदायूँ ।
5. मु0अ0सं0 430/2022 धारा 420/467/468/471/120बी/34 भादवि थाना सिविल लाइन, जनपद इटावा।

पुलिस टीम:- प्रभारी निरीक्षक श्री कण्व कुमार मिश्रा थाना सिविल लाइन,का० अजय सिंह,रि०का० अभय सिंह ।

"इटावा पुलिस जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निष्पक्ष, पारदर्शी एवं साक्ष्य-आधारित कार्यवाही हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।"